डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

जिला सेक्टर योजना

वित्तीय वर्ष 2016–17

मार्ग–निर्देशिका

उत्तराखण्ड शासन

निदेशक
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सेक्टर योजना बावत् वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित योजना हेतु मार्ग–निर्देशिका

भूमिकाः–

दुग्ध विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए, उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दूध की वर्ष पर्यन्त उचित दर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दुग्ध पदार्थो "आँचल ब्राण्ड" की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने, ग्रामीण स्तर पर मानव शक्ति का पलायन रोकने, उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने व भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषकों व दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन में सत्त वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशुस्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

मार्ग–निर्देशिकाः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 मे जिला सेक्टर योजनान्तर्गत डेरी विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम चलाये जायेगें–

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण

इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेगें–

(1) नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायताः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में कार्यरत अथवा प्रस्तावित दुग्ध मार्गो पर ऐसे ग्राम, जिनमें दुग्ध समिति गठन की सम्भावनाएं हों, का सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण उपरान्त ग्राम में कुल दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी, दुधारू पशुओं की संख्या एवं बिक्री योग्य दुग्ध मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए नई दुग्ध समितियों के गठन की कार्यवाही की जायेगी। इन चयनित ग्रामों में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन हेतु अवस्थापना विकास तथा समितियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु तीन वर्षों तक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो प्रत्येक समिति के लिए प्रथम वर्ष में ` 36,700, द्वितीय वर्ष में ` 12,000 एवं तृतीय वर्ष में ` 5,300 तथा कुल ` 54,000 होगी। मदवार एवं वर्षवार निर्धारित मानक संलग्नक ''क'' पर दर्शित है।

(2) तकनीकी निवेश कार्यक्रमः–

तकनीकी निवेश कार्यक्रमों के मद अन्तर्गत, (विविध व्यय मद एवं सहायक निदेशक हेतु फील्ड पर्यवेक्षण मद को छोड़कर), समिति स्तर से दुग्ध उत्पादकों को वर्गवार (सामान्य, एस.सी.एस.पी. व टी.एस.पी.) वितरित किये गये अनुदान के अभिलेखों की छायाप्रतियां दुग्ध संघ द्वारा सहायक निदेशक को अनुदान मांग के साथ प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर सहायक निदेशक द्वारा अनुदान राशि का वितरण किया जायेगा।

पशु औषधि, डिवार्मिंग एवं पशु टीकाकरणः–

दुग्ध समिति सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्राम स्तर पर डिवर्मिग, पशु टीकाकरण एवं पशु औषधि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान की धनराशि का निम्नवत् प्राविधान किया गया है–

(2.1) पशु औषधि – ` 100.00 प्रति पशु।

(2.2) डिवार्मिंग – ` 40.00 प्रति पशु।

(2.3) पशु टीकाकरण – ` 20.00 प्रति पशु।

उक्त हेतु जिला योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशुऔषधिओं एवं दुग्ध समितियों को वितरित किये गये पशुऔषधियों का संघ के मुख्य रिकार्ड के अतिरिक्त दुग्ध संघ स्तर पर पृथक् से भी पंजिका तैयार किया जायेगा, जिसमें चालान/बिल संख्या व दिनांक के विवरणों सहित प्राप्ति व दुग्ध समितियों को निर्गत किये गये दवाईयों का नाम सहित समस्त विवरण अंकित किया जायेगा।

(2.4) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)–

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु फीड सप्लीमेन्ट की आपूर्ति की जायेगी। ऐसे दुग्ध उत्पादक सदस्य, जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हों उन्हें यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक ब्रिक के प्रस्तावित मूल्य में से प्रति तीन किलोग्राम पर ` 45/– दिया जायेगा।

(2.5) मिनरल मिक्सचरः–

दुधारू पशुओं में कम दुग्ध उत्पादन तथा बांझपन एक गम्भीर समस्या है। इसके निराकरण हेतु दुधारू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में मिनरल की आवश्यकता होती है। इसे दृष्टिगत् रखते हुए दुग्ध उत्पादकों मिनरल मिक्सचर के प्रस्तावित मूल्य में से प्रति किलोग्राम ` 30.00 अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2.6) आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाईः–

समिति सदस्यों द्वारा आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है। अतः दुग्ध समिति सदस्यों को नाममात्र शुल्क पर आपातकालीन पशुचिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। आपात्कालीन पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु ` 6.00 लाख (` छः लाख) प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गयी है। इस मद में पशु चिकित्सक हेतु अनुबन्धित किये गये वाहन का उपयोग प्रत्येक दशा में पशु चिकित्सा कार्य में ही किया जायेगा। पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई का मदवार विवरण संलग्नक–''क'' में दर्शित है। पशु चिकित्सक हेतु धनराशि की मांग दुग्ध संघ में उनकी उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा। सूचना हेतु प्रारूप निम्नवत् होगा–

क्र0 सं0	दिनांक	नाम दुग्ध समिति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग			प्रदत्त सुविधा	प्रदत्त सुविधा का मूल्य (` में)
					सामान्य	अनुसूचित जाति	अनु0 जन जाति		

(2.7) विविध व्ययः–जनपदों में विभिन्न योजनाओं के संचालन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण/निरीक्षण आदि कार्यों में सहायक निदेशक कार्यालय के स्तर पर प्रयोगार्थ विभिन्न स्टेशनरीज़, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर अभिरक्षण एवं कार्यालय स्तर पर होने वाले अन्य

समस्त व्यय हेतु अधिकतम ` 30,000.00 (` तीस हजार) प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा, जिसका प्रस्ताव/प्राविधान आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(2.8) संतुलित पशुआहार अनुदानः–

उत्तराखण्ड में चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को दुग्ध विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशुआहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, कि वे अपने दुधारू पशुओं को आवश्यकतानुसार संतुलित पशु आहार खिलायें। संतुलित पशुआहार अनुदान की दर की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित है–

1. मैदानी क्षेत्र हेतु– ` 2.00/किग्रा0
2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु– ` 4.00/किग्रा0

उक्त हेतु जिला योजनान्तर्गत दुग्ध समितियों को वितरित किये गये संतुलित पशुआहार का संघ के मुख्य रिकार्ड के अतिरिक्त दुग्ध संघ स्तर पर पृथक् से भी पंजिका तैयार किया जायेगा, जिसमें चालान/बिल संख्या व दिनांक के विवरणों सहित दुग्ध समितियों को निर्गत किये गये संतुलित पशुआहार का समस्त विवरण अंकित किया जायेगा।

(2.9) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक अनुदानः–

वर्ष पर्यन्त, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, चारे की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण दुधारू पशुओं को निर्धारित मात्रा में पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को रियायती दरों पर कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक हेतु दुग्ध उत्पादक को निम्नवत् अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा–

1. मैदानी क्षेत्र हेतु– ` 1.00/किग्रा0
2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु– ` 3.00/किग्रा0

(2.10) हैडलोड अनुदानः–

पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुए व सड़क से दूर स्थित हैं। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुॅचाने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाएं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं हैं कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहूँचाने में कठिनाई आ रही है। **अतः जिन दुग्ध समितियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे दूध में कुल ठोस (Total Solid) 11.00 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होगा, मात्र उन ही दुग्ध समितियों को हैडलोड अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव निम्नवत् किया जायः–**

1. मैदानी क्षेत्र हेतु– 25 पैसा प्रति लीटर प्रति किमी0
2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 50 पैसा प्रति लीटर प्रति किमी0

उक्त सुविधायें मैदानी क्षेत्र की उन दुग्ध समितियों, जिनकी रोड हैड से दूरी कम से कम 500 मी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र की वह दुग्ध समितियां, जिनकी दूरी रोड हैड से कम से कम 100 मी0 हो, उन्हें ही अनुमन्य होगी। हैड लोड अनुदान दूध को रोड हैड तक पहुॅचाने हेतु मात्र एक तरफ का ही दिया जायेगा।

यदि जिला नियोजन समिति द्वारा उक्त मानकों के आधार पर प्रस्तावित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष कम धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं, तो जनपदीय सहायक निदेशक द्वारा, कुल प्राप्त धनराशि को वर्षपर्यन्त उपयोग करने हेतु, मानकों का अपने स्तर पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा तथा पुर्ननिर्धारित मानकों की स्वीकृति निदेशक डेरी विकास से प्राप्त करते हुए जिला नियोजन समिति को सूचित किया जायेगा।

इस मद अर्न्तगत व्यय धनराशि निम्न प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ उपलब्ध करायी जायेगी–

क्र0 सं0	नाम दुग्ध समिति	रोड हैड से दूरी	कुल दुग्ध उर्पाजन ली0 में	कुल ठोस (% में)	हैड लोड की दर	हैड लोड अर्न्तगत कुल भुगतान ` में
1	2	3	4	5	6	7

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकासः–

जिला योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों में अवस्थापना विकास के अन्तर्गत दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम का निर्माण कार्य नियत माप एवं नक्शे के अनुरूप, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेंसी ''उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडेरेशन लि0, हल्द्वानी'' अथवा द्वारा करवाया जायेगा। जिला योजना अन्तर्गत सम्बन्धित मद का प्रस्ताव चयनित दुग्ध समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा सुसंगत प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् ही रखा जायेगा।

दुग्ध कक्ष, भूसा गोदाम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेंसी ''उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडेरेशन लि0, हल्द्वानी'' द्वारा माप, नक्शा एवं आगंणन तैयार किया जायेगा। निर्मित भवन के चारों ओर दीवारों में आंचल पशुआहार एवं दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के प्रचार हेतु वॉल पेंटिंग कराया जायेगा, जिसके लिए ` 15,000.00 की धनराशि तथा फेडेरेशन का 10 प्रतिशत तकनीकी शुल्क, अनुदान की धनराशि में सम्मिलित है। भवन का निर्माण कार्य नियत माप व नक्शा के अनुसार ही किया जायेगा। फलतः इस हेतु समिति भवन मद में प्राप्त होने वाले निःशुल्क जमीन की माप पूर्व में ही सत्यापित कर ली जाये। नियत धनराशि से अधिक व्यय होने पर संबंधित समिति द्वारा अतिरिक्त व्ययभार वहन किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकृत शासकीय निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्य कराने जाने की स्थिति में औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक, डेरी विकास से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माणः–

ऐसी दुग्ध समितियां जो स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हैं तथा जिनमें निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सके या दुग्ध समिति अपने स्रोतों से भूमि क्रय कर उपलब्ध करा सके, उनमें दुग्ध कक्ष निर्माण कराया जायेगा। इन दुग्ध कक्षों का उपयोग दुग्ध संग्रह, दुग्ध गुणवत्ता जांच के अतिरिक्त तकनीकी निवेश सेवाओं के विस्तारीकरण, यथा–पशुआहार स्टॉक, प्राथमिक पशुचिकित्सा व जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, हेतु किया जायेगा। यह दुग्ध कक्ष, दुग्ध समिति ग्राम में सामुदायिक डेरी विकास केन्द्र के रूप में कार्य करेंगें, जिसके लिए अनुदान निम्नवत् उपलब्ध कराया जायेगा–

1. मैदानी क्षेत्र हेतु —` 4.65 लाख प्रति।
2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु —` 5.15 लाख प्रति।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी प्रस्तावित हैं कि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा दुग्ध कक्ष निर्माण हेतु दी गयी दरें यदि प्रस्तावित दरों से अधिक हैं तो निर्माण ऐजेन्सी द्वारा दी गयी दरों को ही अन्तिम माना जायेगा।

(3.2) भूसा गोदाम निर्माणः—

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की अत्यन्त कमी है। ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन कार्य है। चारे की कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी व बांझपन आदि की समस्याओं के दृष्टिगत् अधिकांश दुग्ध उत्पादकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अतः भूसा गोदाम में भूसे का पर्याप्त स्टाक कर दुग्ध समिति सदस्यों को (No Profit No Loss) के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

ऐसी दुग्ध समितियां, जो स्वावलम्बन की ओर अग्रसर है, तथा जहां इस प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सके या दुग्ध समिति अपने स्त्रोतों से भूमि क्रय कर उपलब्ध करा सके, उनमें भूसा गोदाम निर्माण कराया जायेगा। भूसा गोदाम का संचालन सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा। दुग्ध समिति द्वारा भूसा—चारे का भण्डारण कर समिति सदस्यों को आवश्यकतानुसार उचित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। भूसा गोदाम के निर्माण हेतु अनुदान निम्नवत् उपलब्ध कराया जायेगा—

1. मैदानी क्षेत्र हेतु —` 5.15 लाख प्रति।
2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु —` 5.65 लाख प्रति।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी प्रस्तावित हैं कि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा भूसा गोदाम निर्माण हेतु दी गयी दरें यदि प्रस्तावित दरों से अधिक हैं तो निर्माण ऐजेन्सी द्वारा दी गयी दरों को ही अन्तिम माना जायेगा।

(3.3) डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापनाः—

दुग्ध सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में 30 लीटर एवं मैदानी क्षेत्र में 60 लीटर से ऊपर प्रतिदिन दुग्ध संग्रह करने वाली दुग्ध समितियों में डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना से दुग्ध समितियों की कार्यप्रणाली में अत्यन्त सुधार होगा। दुग्ध समितियों को डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना हेतु ` 65,000.00 प्रति समिति की दर से अनुदान दिया जायेगा। उक्त हेतु दुग्ध समितियों के चयन उपरान्त ही सम्बन्धित मद अन्तर्गत धनराशि का प्रस्ताव किया जायेगा।

(3.4) डी0पी0एम0यू0 एवं वेईंग मषीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापनाः—

दुग्ध योजनाओं के आधुनिकीकरण, हेतु दुग्ध समितियों में डी0पी0एम0यू0 एवं वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पर्वतीय क्षेत्र में 50 लीटर तथा मैदानी क्षेत्र में 100 लीटर से ऊपर दैनिक दुग्ध उर्पाजन करने वाली दुग्ध समितियों को डी0पी0एम0यू0 एवं वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना हेतु ` 80,000.00 प्रति समिति की दर से अनुदान दिया जायेगा। दुग्ध समितियों के चयन उपरान्त ही सम्बन्धित मद अन्तर्गत धनराशि का प्रस्ताव किया जायेगा।

(3.5) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन की व्यवस्थाः–

उन दुग्ध समितियों में जहाँ मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन (गर्बर सैन्टीफ्यूगल मशीन) खराब हो गयी हों, वहाँ नयी फैट टैस्टिंग मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। फैट टैस्टिंग मशीन हेतु ` 3,000/– प्रति दुग्ध समिति की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(3.6) इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन (मोटर चलित):–

ऐसी दुग्ध समितियां जिनमें दुग्ध उत्पादक सदस्य अधिक हो तथा मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन द्वारा कार्य करने में असुविधा हो रही हो वहॉ इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन, मोटर चलित (गर्बर सैन्टीफ्यूगल मशीन) उपलब्ध करायी जायेगी। मोटर चलित फैट टैस्टिंग मशीन हेतु ` 5,000/– प्रति दुग्ध समिति की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(3.7) मैनुअल चैपकटरः–

दुग्ध उत्पादकों को अपने पशुओं हेतु कटा हुआ हरा चारा खिलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को चैपकटर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति मैनुअल चैप कटर की दर ` 6,000/– निर्धारित की गयी है। जो कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 75:25 के अनुपात में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें ` 4500 अनुदान ` 1500 लाभार्थी अशं रहेगा।

(3.8) इलेक्ट्रिकल चैपकटर (मोटर सहित):–

दुग्ध उत्पादकों को अपने पशुओं हेतु कटा हुआ हरा चारा खिलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को अधिक चारे को काटने हेतु इलेक्ट्रिकल चैपकटर उपलब्ध कराया जायेगा, जो मोटर चलित होगा। प्रति मोटर चलित चैपकटर ` 10,000/– की दर निर्धारित की गयी है। जो कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 50:50 के अनुपात में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें ` 5000 अनुदान ` 5000 लाभार्थी अशं रहेगा।

(3.9) दुग्ध समितियों में सौर ऊर्जा व्यवस्था–

ऐसी दुग्ध समितियों हेतु जहॉ विद्युत व्यवस्था न होने के कारण विद्युत चलित उपकरणों यथा डी0पी0एम0सी0यू0 आदि का संचालन नही हो पा रहा है अथवा प्रकाश व्यवस्था नही हैं, में समस्या समाधान के दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित हैं जो निम्नानुसार किया जायेगा–

S.N.	Particulars	Quantity	Approx. cost in Rs. Per DCS
1	Solar Panel with solar charger and M.S. mounting stand including prevailing taxes, Transportation up to each DCS & installation	1 No.	20,000.00
2	Inverter, Capacity-500 VA including prevailing taxes, Transportation up to each DCS & installation	1 No.	5,000.00
3	Battery, Capacity-150 AH including prevailing taxes, Transportation up to each DCS & installation	1 No.	10,000.00
	Total		**35,000.00**

उक्त मद अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन समितियों में इनर्वटर तथा बैटरी की व्यवस्था पूर्व से हैं तथा विद्युत संयोजन नही हैं।

उन समितियों हेतु ` 20,000 तथा शेष के लिए ` 35,000 हजार की धनराशि जिलायोजनान्तर्गत उक्तानुसार प्रस्तावित की जाय। प्रस्तावित सम्पूर्ण धनराशि अनुदान के रूप में होगी।

(4.) प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रमः–

प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम हेतु प्रभावी शिड्यूल/कार्य योजना/एक्शन प्लान तथा उसका कियान्वयन सहायक निदेशक एवं प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दोनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार करके किया जायेगा।

(4.1) समिति भवन वॉल पेन्टिंगः–

दुग्ध सहकारी समितियों में संचालित की जा रही योजनाओं, समिति के कार्यकलापों तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदर्शित करने हेतु वॉल पेन्टिंग करायी जायेगी। इस हेतु ` 10,000 प्रति दुग्ध समिति की दर निर्धारित की गयी है। वॉल पेंटिंग समिति भवन के सामने की एक सम्पूर्ण दीवार पर किया जायेगा, जिसमें पशुआहार तथा दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का विवरण अंकित होगा।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः–

दुग्ध समिति सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल उच्चीकरण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेगें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रति लाभार्थी टी0ए0 व डी0ए0 तथा ट्रेनिंग मैटेरियल सहित निम्नानुसार धनराशि का प्राविधान किया जायेगा–

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता (में)
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1,000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1,500.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5,000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	प्रतिगोष्ठी ` 2,000.00 ` 400/– प्रति किट। ` 2,200 प्रति दुग्ध मार्ग।	

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरणः–

दुग्ध समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक हैं। इस हेतु समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट जिसमें नेलकटर, अडर स्प्रे, डिटॉल, साबुन, तौलिया, मैसटाइटिस स्ट्रिप, फिनायल, आदि सम्मिलित होगा, वितरित की जायेगी। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट हेतु ` 400/– प्रति की दर से अनुदान उपलब्ध किया जायेगा।

दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहनः–

जनपद में दुग्ध समितियों के माध्यम से अधिकतम दूध उपलब्ध कराने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक त्रैमास में दुग्ध मार्गवार कार्यक्रम आयोजित कर सम्बन्धित दुग्ध मार्ग में अधिकतम प्रति लीटर दूध मूल्य प्राप्त करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जायेगा।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः ` 1000/–, ` 700/– एवं ` 500/– अनुदान प्रदान किये जायेंगे।

उक्त समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से ही कराये जायेगें।

(4.3) पशु चिकित्सा कैम्प एवं पशु–प्रदर्शनीः–

दुग्ध समिति ग्रामों में पशुचिकित्सा कैम्प एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के रखरखाव को बढ़ावा देना हैं। कैम्प हेतु आवश्यक दवा आदि की व्यवस्था सम्बन्धित मद एवं विभागीय संसाधनों से की जायेगी तथा इन कैम्पों में पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जायेगा। कैम्पों की व्यवस्था, प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति एवं पशुपालकों को पुरस्कृत करने हेतु ` 05 हजार प्रति कैम्प व्यय होगा। पशु चिकित्सा कैम्प एवं पशु–प्रदर्शनी हेतु ` 5,000/–प्रति कैम्प के व्यय का मदवार विवरण निम्नवत् है–

1. पशु चिकित्सक/रिसोर्स पर्सन हेतु–` 800/–, **2.** पशु औषधि हेतु–` 2000/–, **3.** कैम्प व्यवस्था हेतु–` 1500/–, **4.** यातायात व्यवस्था हेतु–` 700/–।

(5) स्वच्छ दुग्ध उत्पादनः–

(5.1) पशुशालाः–

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु चयनित दुग्ध समितियों में पशुशाला निर्माण कराया जायेगा। 01 पशु एवं 01 बछड़े हेतु 60 वर्ग फुट एरिया की आवश्यकता होती है। पशुशाला निर्माण हेतु @ ` 250/–प्रति वर्ग फुट की दर से ` 15 हजार की आवयकता होगी, जिसके समक्ष ` 12,000/– अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(5.2) पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्थाः–

दुधारू पशुओं को खिलाये जाने वाले चारे की हानि को कम करने तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु पशु नाद का निर्माण कराया जायेगा। उन स्थानों पर जहाँ पशु नाद निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो वहाँ दुग्ध उत्पादकों को पशु चरी क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी। पशु नाद निर्माण हेतु ` 4,000/– अनुदान दिया जायेगा तथा पशु चरी हेतु ` 2,500/– अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(6.) दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रमः–

(6.1) उपभोक्ताओं जागरूकता कार्यक्रमः–

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रणों से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं को जानकारियां उपलब्ध करायी जायेगीं। इन कैम्पों के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता के साथ–साथ दुग्ध अपमिश्रण की जानकारी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। प्रति कैम्प ` 07 हजार अनुदान दिया जायेगा, जिसमें प्रचार–प्रसार, रसायन तथा आवर्ती व्यय आदि सम्मिलित होगें। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ` 7,000/–प्रति कैम्प के व्यय का मद विवरण निम्नवत् है–

1. प्रचार प्रसार सामग्री (पम्पलैट एवं बैनर) हेतु–` 2500/–, 2. लैक्टोमीटर एवं जार हेतु–` 1000/–, 3. सिन्थेटिक किट तथा स्ट्रिप हेतु–` 2000/–, 4. कार्यक्रम व्यवस्था हेतु–` 1500/–।

(6.2) मिल्क टैस्टिंग प्रोत्साहनः–

इस हेतु पर्वतीय क्षेत्र की वह समितियां, जिनका दुग्ध उर्पाजन कम–से–कम 10 लीटर प्रतिदिन से अधिक हो, में दुग्ध की वसा व वसा रहित ठोस जांच हेतु ` 1.00 प्रति सैम्पल की दर से दुग्ध समिति के टेस्टर को टैस्टिंग के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। इससे दूध का वसा परीक्षण सुनिश्चित हो सकेगा तथा दुग्ध उत्पादकों के विश्वास में वृद्धि होगी। यह धनराशि उन समितियों में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, जहां जिला योजना अर्न्तगत प्रबन्धकीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा हो। विवरण हेतु प्रारूप निम्नवत् होगा–

क्र0 सं0	नाम दुग्ध समिति	सचिव/टेस्टर का नाम	औसत दुग्ध उर्पाजन ली0/दिन	टैस्टिंग सैम्पल की संख्या	दर	कुल भुगतान धनराशि ` में
1	2	3	4	5	6	7

(6.3) सचिव प्रोत्साहनः–

दुग्ध सहकारी समिति के सचिव को दुग्ध समिति के अभिलेख पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु पर्वतीय क्षेत्र की वैसी समितियां, जिनका दुग्ध उर्पाजन कम–से–कम 10 लीटर प्रतिदिन से अधिक हो, उनके सचिवों को समिति के कुल दुग्ध व्यवसाय की 3.5% धनराशि प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। इससे जहाँ एक ओर, सचिव द्वारा सदस्यता बढ़ाने के प्रयास किये जायेगें वहीं दूसरी ओर, समिति के अभिलेख तातारीख पूर्ण किये जायेगें। यह धनराशि उन समितियों में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, जहाँ जिला योजना अर्न्तगत प्रबन्धकीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा हो। उक्त मद का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। इसका विवरण निम्न प्रारूप पर रखा जायेगा–

प्रारूप

क्र. सं.	नाम दुग्ध समिति	सचिव का नाम	कुल औसत दुग्ध उपार्जन (ली./दिन)	समिति की मासिक दुग्ध व्यवसाय धनराशि	दर	कुल भुगतान धनराशि ` में
1	2	3	4	5	6	7

महत्वपूर्ण नोटः–

1. डेरी विकास विभाग में जिला योजनान्तर्गत केवल एक ही योजना "ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण" चालू है। मार्ग–निर्देशिका में अनुमोदित मदों के अर्न्तगत ही जी0एन0–1 एवं जी0एन0–2 में धनराशि प्रस्तावित किया जायेगा तथा स्वीकृत मानक मदों के अतिरिक्त अन्य मद अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

2. मार्ग–निर्देशिका में उल्लिखित किन्हीं मदों में निर्धारित अनुदान की धनराशि से अधिक व्यय होने पर जिला योजनान्तर्गत किये जा रहे प्रस्ताव में दुग्ध समिति द्वारा अतिरिक्त व्यय किये जाने सहित अन्य आवश्यक समस्त विवरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

3. जिला योजना अन्तर्गत शत–प्रतिशत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है। अतः प्रस्तावित योजना में उन्हीं मदों को सम्मिलित किया जाये, जो आवश्यक हों तथा वित्तीय वर्ष में उसके शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जा सके। सम्पूर्ण धनराशि के आहरण व व्यय हेतु सहायक निदेशक उत्तरदायी होगें।

4. योजनान्तर्गत सामान्य, स्पेशल कम्पोनेन्ट सबप्लान एवं ट्राइबल सब प्लान में आवश्यक धनराशि एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अलग–2 दर्शित किया जाए। स्पेशल कम्पोनेन्ट सबप्लान एवं ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत सहायता का उपयोग कहाँ व किस प्रकार किया जायेगा, इस आशय का पूर्ण औचित्य योजना में उल्लेख किया जाय। राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. में 18 प्रतिशत तथा टी.एस.पी. में 03 प्रतिशत की धनराशि का परिव्यय निर्धारण हेतु निर्देश हैं।

.....

.....

संलग्नक–''क''

जिला योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के स्तर पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु मदवार निर्धारित मानकों का विवरणः–

(ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण)

जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रति समिति प्रस्तावित वित्तीय सहायता के मानक की मार्ग–निर्देशिका का अनुलग्नकः–

(1.) नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायताः–

क्र. सं.	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि (` में)
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि	3,000	1000	500	4,500
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैंसी	5,000	–	–	5,000
3.	दुग्ध कैन	7,000	–	–	7,000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7,200	6000	4800	18,000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाएं	2,000	–	–	2,000
6.	कार्यशील पूंजी	5,000	5000	–	10,000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7,500	–	–	7,500
	कुल योगः–	**36,700**	**12,000**	**5,300**	**54,000**

(2.) तकनीकी निवेश कार्यक्रमः–

(2.1) पशु औषधि– ` 100 प्रति पशु।

(2.2) डिवार्मिंग– ` 40 प्रति।

(2.3) टीकाकरणः ` 20 प्रति।

(2.4) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)– ` 45 प्रति तीन कि0ग्रा0

(2.5) मिनरल मिक्सचर– ` 30 प्रति कि0ग्रा0

(2.6) आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई–

(i) पशु चिकित्सक हेतु–

(क.) मानदेय (समस्त भत्तों सहित) ` 22 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– ` 2.64 लाख।

(ख.) इन्सेन्टिव ` 50 प्रति केस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– ` 0.48 लाख।

(ii) वाहन–

(क.) पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी0/दिन/20दिन/12माह @ ` 8/किमी0– ` 1.92 लाख।

(ख.) जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु 100 किमी0/दिन/10दिन/12माह @` 8/किमी0–` 0.96 लाख।

योगः– प्रति इकाई– ` 6.00 लाख।

(2.7) विविध व्ययः– ` 30,000/ प्रतिवर्ष।

(2.8) संतुलित पशु आहार अनुदान–

(क) मैदानी क्षेत्र ` 2.00प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र ` 4.00प्रति किग्रा0

(2.9) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक–

(क) मैदानी क्षेत्र ` 1.00 प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र ` 3.00 प्रति किग्रा0

(2.10)हैडलोड अनुदान–

(1) मैदानी क्षेत्र 25 पैसा/लीटर/कि0मी0

(2) पर्वतीय क्षेत्र 50पैसा/लीटर/कि0मी0

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास–

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र ` 4.65 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र ` 5.15 लाख।

(3.2) भूसा गोदाम निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र ` 5.15 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र ` 5.65 लाख।

(3.3) डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना– ` 65,000/ प्रति नग।

(3.4) डी.पी.एम.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापना– ` 80,000/ प्रति।

(3.5) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन– ` 3,000/ प्रति मशीन।

(3.6) इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन– ` 5,000/ प्रति मशीन।

(3.7) मैनुअल चैप कटर– ` 6,000/ प्रति नग।

(3.8) इलेक्ट्रिकल चैप कटर (मोटर सहित) ` 10,000/ प्रति नग।

(3.9) दुग्ध समितियों में सौर ऊर्जा व्यवस्था–

(अ) सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी सहित)– ` 35,000/प्रति नग।

(ब) सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी रहित)– ` 20,000/प्रति नग।

(4.) <u>प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम</u>–

(4.1) समिति भवन वॉल पेंटिंग– ` 10,000/प्रति समिति।

(4.2) <u>प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन</u>–

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता (` में)
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1,000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1,500.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5,000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	` 2,000/– प्रतिगोष्ठी ` 400/–प्रति किट। ` 2,200/–प्रति दुग्ध मार्ग।	

(4.3) पशु चिकित्सा एवं पशु प्रर्दशनी कैम्प(विवरण संलग्नक ''क'' पर)– ` 5,000 प्रति कैम्प।

(5.) <u>स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता</u>ः–

क्र.सं.	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01बछडा हेतु 60 वर्ग फुट)	` 12,000/– प्रति पशुशाला
5.2	पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्था– पशु नाद– पशु चरी व्यवस्था–	 ` 4,000/– प्रति। ` 2,500/– प्रति।

(6.) <u>दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम</u>ः–

(6.1) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (विवरण संलग्नक ''क'' पर)– ` 7,000/– प्रति कैम्प।

(6.2) मिल्क टैस्टिंग प्रोत्साहन– ` 1.00/–प्रति सैम्पल।
पर्वतीय क्षेत्र (10 ली0 से अधिक की दुग्ध समितियों हेतु)

(6.3) सचिव प्रोत्साहन– दुग्ध व्यवसाय का 3.5%।
(10 ली0 से अधिक की दुग्ध समिति हेतु)

....

....

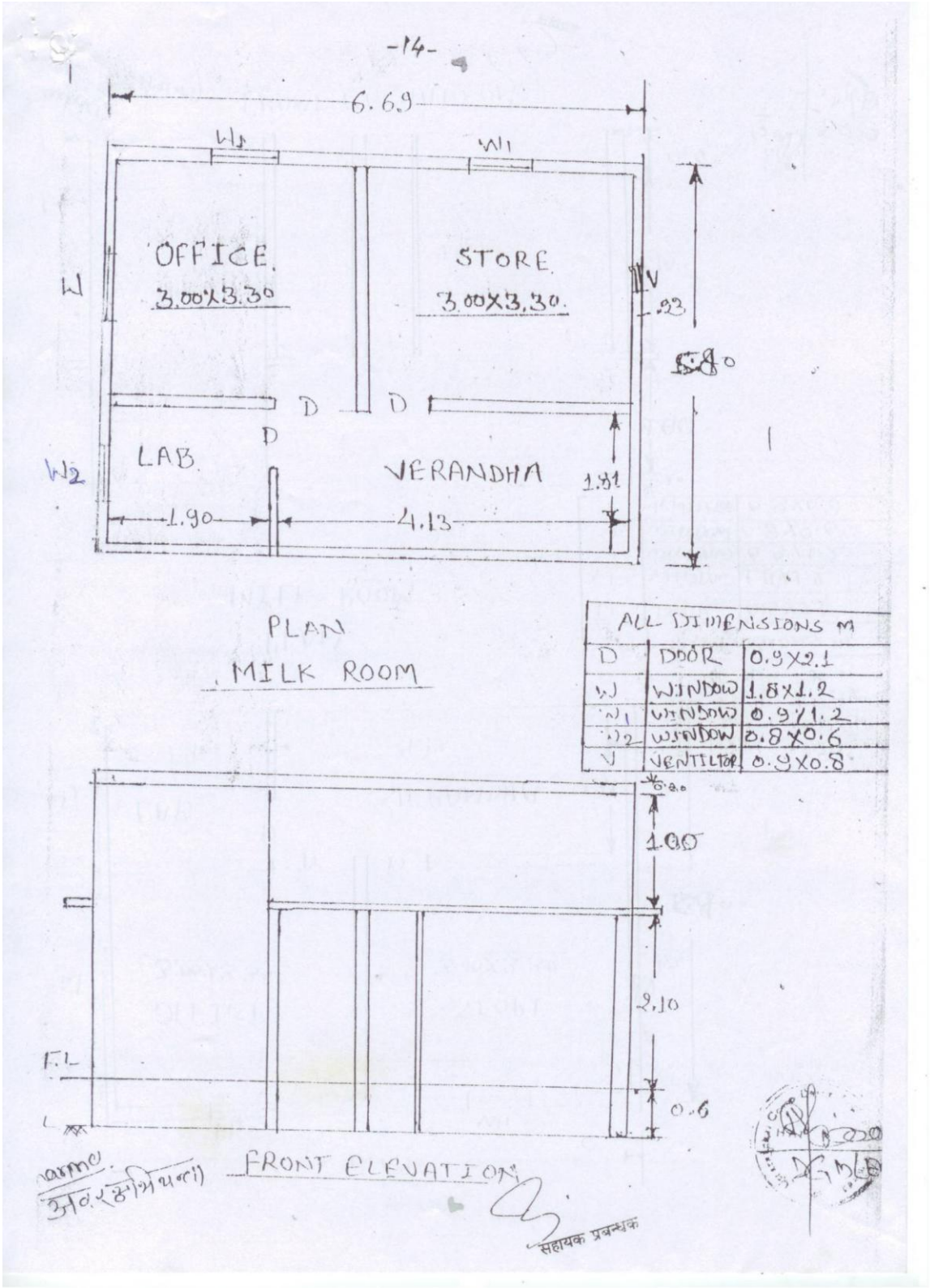

-14-
6.69
OFFICE
3.00X3.30
STORE
3.00X3.30.
LAB
VERANDHA
1.90
4.13
1.81
PLAN
MILK ROOM
ALL DIMENSIONS M
D DOOR 0.9X2.1
W WINDOW 1.8X1.2
W1 WINDOW 0.9X1.2
W2 WINDOW 0.8X0.6
V VENTILTOR 0.9X0.8
1.00
2.10
F.L
0.6
FRONT ELEVATION
सहायक प्रबन्धक